



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.05.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन हेतु लिये जा रहे सत्यापन शुल्क में वृद्धि करते हुये सत्यापन शुल्क रू0 500.00 प्रति उपाधि (स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं की सम्पूर्ण अंकतालिकाओं सहित) निर्धारित किया जाता है। उक्त सत्यापन शुल्क आगामी पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2030-31 तक मान्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

93 W 12/5/26
प्रभारी कुलसचिव

पृ0सं0- आर0ओ0/विधि/2026-27/27

दिनांक 12.05.2026

प्रतिलिपि-

1. वित्त नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2. डॉ0 नन्दन सिंह बिष्ट, उप परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा अनुभाग), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (लेखा अनुभाग), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. कैश काउण्टर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

प्रभारी कुलसचिव